कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा की गई बडी कार्यवाही; अत्यंत दुर्लभ जलीय वन्यजीवों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी में शामिल आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ती (**63/25, दिनांक 29.09.2025)**

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश से मिले निर्देश पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश के द्वारा आसूचना तंत्र विकसित कर क्षेत्रीय इकाई भोपाल, शिवपुरी के द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये 03 व्यक्ति से **30 Gharial babies (Gavialis gangeticus) 17 Red-crowned roofed turtle (Batagur kachuga), 19 Three-striped roofed turtle (Batagur dhongoka** जप्त कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/20 दिनांक 12.07.25 दर्ज किया गया। प्रकरण में 04 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 26.09.2025 को प्रकरण में फरार आरोपी की आशिक खान पिता हकीमुद्दीन खान निवासी सिमारा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों का विवरण निम्नानुसार है-

1. विजय पिता शाशिकांत गोंड निवासी थाटीपुर ग्वालियर मध्यप्रदेश
2. राजू आदिवासी पिता जगदीश निवासी मउरानीपुर जिला झांसी उत्तप्रदेश
3. रामवीर सिंह पिता शिव सिंह निवासी सूर्य बिहार कॉलोनी पिंटू पार्क ग्वालियर
4. छोटेलाल बाथम पिता बटेश्वरी बाथम निवासी नौरगी घाट जिला फिरोजाबाद उत्तप्रदेश
5. आशिक खान पिता हकीमुद्दीन खान निवासी सपोटरा जिला करौली राजस्थान

उक्त आरोपी आशिक खान को एसटीएसएफ हेतु अधिकृत माननीय विशेष न्यायालय शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर फॉरेस्ट रिमांड पर लेकर पूछताछ की जावेगी। प्रकरण में गिरफ्तार अन्य आरोपियों पर पूर्व में भी इस प्रकार के कई प्रकरण दर्ज हैं जिस पर उन्हें सजा भी हो चुकी है। आरोपी विजय गोंड व राजू आदिवासी की जमानत याचिका सत्र न्यायालय द्वारा पूर्व में खारिज की जा चुकी है। पूछताछ में आरोपियों द्वारा बताया गया कि यह जलीय जीव कोलकाता के रास्ते बांग्लादेश भेजे जा रहे थे। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल